न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/246/2022

वउनवान

1. जीतू पुत्र दानसिंह पोत्र मंगतू जाति गुर्जर नाबालिग
2. पायल पुत्री दानसिह पौत्र मंगतू जाति गुर्जर नाबालिग

नाबालिगान जरिये सपरस्त माता दया पत्नी दानसिंह जाति गुर्जर निवासी मैथना तहसील कठूमर जिला अलवर।

-- वादीगण

बनाम

1. दानसिंह पुत्र मंगतू जाति गुर्जर निवासी मैथना तहसील कठूमर जिला अलवर।

दावा घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थितः-श्री रामजीलाल शर्मा

श्री अखय राणा एडवोकेट- वकील वादीगण

प्रतिवादी सं0 1 बाबजूद तामील उपस्थित नही हुआ।

निर्णय

दिनांक 26/07/23

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 157 रकवा 1.35 हे. 158 रकवा 0.49 हे. 226 रकवा 0.27 हे. ग्राम मैथना तहसील कठूमर में स्थित है। वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र पुत्री है तथा आपस में बाप बेटे बेटी है तथा मंगतू वादीगण का दादा लगता है जो सभी एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है उक्त आराजी वादीगण के दादा मंगतू की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है जिसमें वादीगण को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्र पोत्रियों को जन्म से ही हक व अधिकार पैदा हो जाते है इसी अधिकार के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

तहत विवदित आराजी में वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा है वादीगण विवादित आराजी के 2/3 हिस्सा पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज रहने से वादीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है तथा प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी को विना जरूरत के रहन वय करने को उतारू है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 से विवादित आराजी में अपने 2/3 हिस्सा की घोशणा कराने वावत कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादीगण विवादित आराजी में अपने 2/3 हिस्सा की घोषणा कराने व प्रतिवादी सं0 1 को पाबन्द कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण ने दावा मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजे गये। दिनांक19.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 1–2 बाबजूद रजिस्टर्ड डाक तामील उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी हाल संवत् 2075 से 2078 नकल जमाबन्दी सवत् 2059 से 2062 जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 वाके ग्राम मैथना की सत्य प्रतिलिपी पे ा की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाहPW1गोपाल,PW2गवाह गोविन्दराम,PW3गवाह दया (वादीगण की मां) PW4 गिरधारीकेभापथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है। जो संलग्न पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, गवाहान के वयानों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगणकी एकपक्षिय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगणने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 मंगतू वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

के दादा लगते है विवादित आराजी मंगतू की पैदा कर्दा आराजी है जिसमें वादीगण को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है। उक्त आराजी में वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण ने जमाबन्दी सवत् 2059 से 2062 जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 वाके ग्राम मैथना पेश की है जिसमें विवादित आराजी मंगतू की खातेदारी में दर्ज है है जिससे सावित है कि उक्त आराजी पैत्रिक है। गवाह वादीगण विवादित आराजी पर वादीगण का 2/3 हिस्से पर कब्जा बताते है।

आर आर डी 2022 (1) पेज 610 करना वगैरा बनाम चतुर्भुज वगैरा में राजस्व मण्डल अजमेर ने स्पष्ट किया है कि पुत्रों के समान ही पुत्रियों को जन्म से बराबर हक प्राप्त है व पुत्रियों को पैत्रिक सम्पत्ति से बंचित नहीं किया जा सकता।

आर आर टी 2021(2) पेज 855 नत्थूलाल वगैरा बनाम राजस्थान सरकार में राजस्व मण्डल अजमेर ने स्पश्ट किया है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति में पोत्र को पार्सनर होने से जन्म से ही हक व हिस्सा रखता है।

आर आर डी 2014 पेज सं0 74 भयाम बनाम जगबन्ती वगैरा में राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि पैत्रिक कृषि भूमि में पोत्र व पोत्रियों का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है।

राजस्व रेकार्ड से यह सावित है कि विवादित आराजी वादीगण के दादा मंगतू की खातेदारी की खातेदारी की आराजी है जो प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी सं0 1 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया इससे सावित है कि इसमें प्रतिवादी की भी मौन स्वीकृति है। अधिवक्ता वादीगण ने अपने कथनों की पुश्टि में कानूनी नजीर पेश की है जो प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होती है। विवादित आराजी वादीगण के दादामंगतू की पैदा कर्दा होने से पैत्रिक होना व वादीगण का 2/3 हिस्सा

पर कब्जा सावित है। अतः वादीगणविवादित आराजी में 2/3 हिस्सा की अपने नाम घोशणा कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः वाद वादीगण सावित होने से डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर157 रकवा 1.35 हे. 158 रकवा 0.49 हे. 226 रकवा 0.27 हे. ग्राम मैथना तहसील कठूमर का वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार का तकार घोशित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 का नाम हाल राजस्व रेकार्ड से वादीगण के 2/3 हिस्से तक कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगणके 2/3 हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें।तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 28/07/23को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

राजस्व वाद संख्या 1/289/2021

वउनवान

1. जीतू पुत्र दानसिंह पोत्र मंगतू जाति गुर्जर नाबालिग
2. पायल पुत्री दानसिह पोत्र मंगतू जाति गुर्जर नाबालिग

नाबालिगान जरिये सपरस्त माता दया पत्नी दानसिंह जाति गुर्जर निवासी मैथना तहसील कठूमर जिला अलवर।

— वादीगण

बनाम

1. दानसिंह पुत्र मंगतू जाति गुर्जर निवासी मैथना तहसील कठूमर जिला अलवर।

दावा घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः वाद वादी घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर157 रकवा 1.35 हे. 158 रकवा 0.49 हे. 226 रकवा 0.27 हे. ग्राम मैथना तहसील कठूमर का वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार का तकार घोशित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 का नाम हाल राजस्व रेकार्ड से वादीगण के 2/3 हिस्से तक कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगणके 2/3 हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें।तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 28/07/23को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

[illegible]	[illegible] पत्र पेश कर PW-1 गोपाल PW-2 गोविन्दराम PW-3 रूपाराम PW-4 गिरधारीलाल [illegible] के बयान लेख बद्ध कराये गये। वादी ओर से गवाह पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य बन्द किये जाते है। पत्रावली वास्ते बहस वादी दिनांक 21/7/23 को पेश हो SDM
21/7/23	पत्रावली पेश हुई पत्रावली पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 28/7/23 को पेश हो SDM
28/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तदानुसार फर्द डिक्री जारी हो निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया पत्रावली, नतीजा सुनाया जाकर नम्बर ले कर बाद तकमील [illegible] जिला [illegible] [illegible] SDM